

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

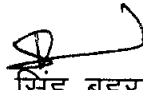
// आदेश //

क्रमांक ८/५१६४ /

जबलपुर, दिनांक ३० / ०७ / २०२५

दो-१४-३२ / २५

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-६-१/२०१८/नियम/चार भोपाल, दिनांक ०८ मार्च २०१९ में निहित प्रावधान के अनुसार श्री बाबूलाल कुशवाहा, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को सेवानिवृत्त दिनांक ३०.०६.२०२५ पर पात्रता अनुसार २४९ दिवस के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

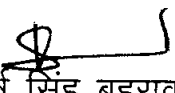
पृष्ठांकन क्र. ८/५१६५ /

जबलपुर, दिनांक ३० / ०७ / २०२५

दो-१४-३२ / २५

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
 2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
 3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
 4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
 5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
 6. श्री बाबूलाल कुशवाहा, सेवानिवृत्त ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
२५.